अतः पत्रावली ... विवाह
दिनांक 1/9/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश ... अभिभाषी
... दौरे
... अपर कलेक्टर
23/9/22 को पेश हो।

23/9/22 अपीलार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा बार-2 आग्रह करने के बाद भी न तो पीठासीन अधिकारी आये न ही अपील का निर्णय अर्थ, अर्थना पत्र अ.धारा 131, 136 के अंतर्गत अंतरिम अवधि के लिये किया गया है। प्रकरण होने के कारण बाकर बंधुओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं।

23/9/22

श्रीमान जी
प्रार्थीगण द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र में प्रार्थीगण
के कब्जे के अनुसार
तरमीम बाबत प्रार्थना
पत्र पेश किया है
माननीय न्यायालय
से निवेदन है कि
कब्जे के अनुसार
तरमीम का कोई
प्रावधान अन्तर्गत
धारा 136 नहीं है
अतः प्रार्थना पत्र
को खारिज
फरमाया जावे।

23/9/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 11:48:45 IST
Reason: SelfAttested